



पत्रांक...../

प्रेषक, वरीय उप समाह्वी,
-सह-
जिला प्रभारी पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना, मधेपुरा।

प्रेषित,

जिले के सभी नव० प्रा० वि० / प्रा० वि० / उ० म० वि० /म० वि०/बुनियादी वि०/बालश्रमिक वि० एवं
मदरसा (म० भो० यो० संचालित विद्यालय) के प्रधानाध्यापक।

मधेपुरा, दिनांक.....2013

विषय :- रसोईया हेतु एप्रॉन एवं टोपी तथा ट्रंक बॉक्स (कोठी) का उपयोगिता उपलब्ध कराने के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय के द्वारा प्रति रसोईया 100.00 रु० की दर से एप्रॉन एवं
टोपी तथा प्रति विद्यालय 2000.00 की दर से ट्रंक बॉक्स (कोठी) क्रय करने हेतु राशि निर्गत किया गया है जिसका
उपयोगिता कार्यालय में अप्राप्त है।

अतः आपलोगो को निदेश दिया जाता है कि रसोईया हेतु एप्रॉन एवं टोपी तथा ट्रंक बॉक्स (कोठी) का
उपयोगिता एक सप्ताह के अन्दर संबंधित प्रखंड साधनसेवी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन

वरीय उप समाह्वी

-सह-

जिला प्रभारी पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना, मधेपुरा।

ज्ञापांक...10.62...../ मधेपुरा, दिनांक ...11/6/2013

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड साधनसेवी (म० भो० यो०) मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। साथ ही आपलोगों
को निदेश दिया जाता है कि विद्यालयों में रसोईया हेतु एप्रॉन एवं टोपी तथा ट्रंक बॉक्स (कोठी) का उपयोगिता संग्रहित कर
कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक विद्यालय में रसोईया हेतु एप्रॉन एवं
टोपी तथा ट्रंक बॉक्स (कोठी) उपलब्ध हो अन्यथा निरीक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं रहने कि स्थिति में आपलोगों के विरुद्ध
अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

वरीय उप समाह्वी

-सह-

जिला प्रभारी पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना, मधेपुरा।

हमारा लक्ष्य

100% विद्यालयों में 100% उपस्थित बच्चों, 100% कार्यदिवस में मध्याह्न भोजन संचालन

